राजस्व वाद संख्याः–08/2024
संतलाल बनाम मांगीलाल वगै0
निर्णय दिनांकः– 18.07.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः–

श्रीमती सुमन देवी ाा(आर.ए.एस.)

मु0नं0 08/2024

संत लाल पुत्र श्री भगवाना राम जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान

–आवेदक

बनाम

01. मांगीलाल पुत्र श्री देवाराम जाती ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू
1/1. सुरेन्द्र कुमार पुत्र स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
1/2. राधेश्याम पुत्र स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
1/3. पवन कुमार पुत्र स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
1/4 प्रमोद पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी श्री रमेश जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द हाल आबाद धिंगडीया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
1/5 मंजू पुत्री स्व. मांगीलाल पत्नी श्री सांवरमल जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द हाल आबाद धिंगडीया तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
1/6.बाला देवी पत्नी स्व. मांगीलाल जाति ब्राहमण निवासी अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान
02. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा काकोड़ा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबंधक
03. राजस्थान सरकार (भूमिधारी) तहसीलदार सूरजगढ़ जिला झुंझुनू राजस्थान

–––अनावेदकगण

प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
निर्णय

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि तहसील सूरजगढ़ कि ग्राम अगवाना खुर्द में भूमि खसरा नं. 324 रकबा 1.6800 हैक्टर स्थित है आवेदक एवं अनावेदक नं.02 की सयुंक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिसमे आवेदक का 1/2 हिस्सा निहित है जिसमे आवेदक ने नजरी नक्शा दर्शाया (क) स्थान पर अपना पुख्ता रिहायशी बोरिंग एवं बोरिंग की कोटड़ी बनाकर आबाद है।

यह की आवेदक ग्राम अगवाना खुर्द तहसील सूरजगढ़ में कृषि भूमि खसरा नं. 324 रकबा 1.6800 है भूमि का खातेदार काश्तकार है तथा उक्त भूमि में आवेदक ने अपने पुख्ता बोरिंग एवं बोरिंग की कोटड़ी बनाकर आबाद है जिसमे आवेदक को ऊँट गाडी, मवेशी ट्रेक्टर व अन्य वाहन लाने, ले जाने के लिए अनावेदक 01 के भूमि खसरा नं.325 रकबा 3.5600 हैक्टर भूमि में से भूमि खसरा नं.324 की उतरी सीमा की और से पशिचमी दिशा के सहारे सहारे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर 12 फूट चौड़ा रास्ता नजरी नक्शा में दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार भूमि खसरा नं.324 में आने के लिए चाहता है।

यह कि आवेदक के खेत व रिहायशी मकान में जाने बाबत कोई वैकल्पित रास्ता नहीं है। आवेदक के खेत व रिहायशी मकानों में जाने बाबत अनावेदक संख्या 01 के खेत खसरा नं. 325 के पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर जाने वाला कटानी रास्ता से नजरी नक्शा में दर्शाया गया बिन्दु ए से बी तक अपने खेत खसरा नं.324 के लिए चाहता है उक्त रास्ते से निकटतम अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः—08 / 2024
संतलाल बनाम मांगीलाल वगै0
निर्णय दिनांकः— 18.07.2025

रास्ता नहीं है। इसलिए नजरी नक्शे में दर्शित बिन्दू A से B तक की भूमि को 3 मीटर चौड़ा रास्ता घोषित किया जाना न्यायोचित है ।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदक खेत खसरा नं.324 में बने रिहायशी मकानात व विद्युत चालित शेरिंग व खेत में आने जाने बाबत वाहन ऊँट गाडा, ट्रेक्टर, मवेशी आदि को लाने ले जाने बाबत व बोरिंग की मोटर खराब होने पर मशीन लाने ने जाने बाबत खसरा नं. 325 रकबा 1.6800 हैक्टर के पशिचमी सीमा 5 सहारे सहारे उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर 3 मीटर चौड़ा रास्ता खसरा नं.324 में जाने के लिए नजरी नक्शा दर्शित मार्क ए से बी के अनुसार रास्ता घोषित किया जावे व तहसीलदार सूरजगढ़ को उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जावे

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा राजीनामा पेश किया गया। अप्रार्थी का देहांत होने पर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेष 22 नियम 04 सीपीसी स्वीकार किया गया। वकील वादी द्वारा संशोधित टाईटल पेश किया गया। अप्रार्थीगण के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । तहसीलदार सूरजगढ से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली की गयी।

बहस सुनी गई

वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट क्रमांक राजस्व / 2025 / 301 दिनांक 02.07.2025 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतशुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कटानी कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व / 2025 / 301 दिनांक 02.07.2025 के साथ पेश भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 324 मौजा अगवाना खुर्द में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 325 में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की कुल दुरी 24 मीटर लंबाई एवं 03 मीटर चौडाई कुल रकबा 72 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 24 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम कियां जाना न्यायोचित पाता है।

<u>आदेश</u>

तहसीलदार सूरजगढ की मौका रिपोर्ट राजस्व / 2025 / 301 दिनांक 02.07.2025 के साथ भू0अ0 निरीक्षक रिपोर्ट में अंकित नक्शा में दर्षित भूमि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 324 मौजा अगवाना खुर्द में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 325 में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की कुल दुरी 24 मीटर लंबाई एवं 03 मीटर चौडाई कुल रकबा 72 वर्ग मीटर अप्रार्थीगण की भूमि में से लाल स्याही से अंकित रास्ते की लम्बाई 24 मीटर चौडाई 03 मीटर का रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार सूरजगढ़ को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि प्रार्थी के खातेदारी हिस्से से कम कर संबधित अप्रार्थीगण खातेदार को उनके हिस्से अनुसार दी जावे। रास्ते के नाप में अगर कोई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार सूरजगढ की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

यह निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ